

Pradhan, Shri Dhan Shah
Rao, Shri M. Satyanarayan
Saha, Shri Ajit Kumar
Saksena, Prof. S. L.
Shastri, Shri Ramavatar
Singh, Shri D. N.
Sivasamy, Shri M. S.
Solanki, Shri Somchand

MR. DEPUTY-SPEAKER : The result* of the division is :

Ayes : 89 ; Noes : 26.

The motion was adopted.

14.49 hrs.

STATUTORY RESOLUTION RE : TAX
ON POSTAL ARTICLES ORDINANCE
AND TAX OF POSTAL
ARTICLES BILL

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 22 अक्टूबर, 1971 को प्रख्यापित डाक वस्तुओं पर कर अध्यादेश, 1971 (1971 का अध्यादेश सं० 18) का निरनुमोदन करती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि बक्तव्य में माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि बंगला देश के शरणाथियों के लिये कुछ अतिरिक्त साधन, अतिरिक्त पैसा जुटाने के लिए सरकार ने उक्त अध्यादेश जारी किया तथा उसके स्थान पर बिल भी यहां प्रस्तुत किया गया है। सरकार ने जिस तरह से रेल-भाड़े में वृद्धि की है उसी तरह से डाक-तार की दरों में वृद्धि की जा रही है, स्टैम्प-ड्यूटी में वृद्धि की बात भी है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि बंगला देश की समस्या सारे देश की अपनी समस्या है और इस समस्या के प्रति सारे देश को सहानुभूति है। कोई भी यह नहीं चाहता कि समस्या का हल न हो। सारा देश यह मानता है कि सरकार का इस समस्या के समाधान में जितना भी हाथ बटाय जा सकता है, बटाना चाहिए।

मैं पिछली घटनाओं को दोहराना नहीं चाहता, चाहे पाकिस्तान ने हमारे ऊपर आक्रमण किया हो या चीन ने हमारे ऊपर आक्रमण किया हो, देश की जनता ने सरकार के हाथों में कपड़ा, पैसा, चांदी, सोना सब कुछ दिया, सरकार ने चाहे उसका सदुपयोग किया हो या दुरुपयोग किया हो, लेकिन देश की जनता अपने योगदान में पीछे नहीं रही। किन्तु जिस ढंग से ये कर लगाने की बात की गई है, अध्यादेश के द्वारा जिस ढंग से ये कर लगाये गए हैं, उसका हम विरोध करते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं, 15 नवम्बर, से यह सदन प्रारम्भ होने वाला था। 22 अक्टूबर, को यह अध्यादेश निकाला गया, सरकार कुछ दिन प्रतीक्षा कर सकती थी। हमारा इस बारे में मतभेद नहीं है कि सरकार समस्या के समाधान के लिए आवश्यक धनराशि संग्रह न करे, लेकिन कुछ दिन प्रतीक्षा करने की बात भी सरकार सहन नहीं कर सकती, और 15 नवम्बर तक भी सरकार इस सिलसिले में अतिरिक्त डाक टिकटों का आवश्यक प्रबन्ध नहीं कर सकती। सारा सदन इस बात को जानता है कि 15 नवम्बर के बाद भी डाक घरों में जिन अतिरिक्त डाक-टिकटों का प्रबन्ध किया जाना था, वह नहीं हो सका, सरकार उस प्रबन्ध में भी असफल रही।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने इस के द्वारा एक बात कही है कि ये टैक्स अस्थायी है, स्थायी नहीं हैं। सरकार कई बातों में अस्थायी और स्थायी में भेद नहीं कर पाती। आज हमारी सरकार के कई विभाग वर्षों से अस्थायी चले आ रहे हैं, 10-15 वर्ष नौकरी के बाद सरकारी कर्मचारी, कभी कभी तो 20 वर्ष की नौकरी के बाद भी सरकारी कर्मचारी अस्थायी ही रहता है। हमारे सविधान की धारा 370 भी अस्थायी है, सरकार किस को

*The following Members also recorded their votes;

Ayes : Shri S. N. Misra.

Noes : Sarveshri Shri Shankar Prasad Yadav and T. S. Lakshmanan.

स्थायी और किमको अस्थायी मानती है, इस बात को समझने का प्रयत्न भी नहीं कर सकती है। शुरू शुरू में बंगला देश की समस्या को भी अस्थायी माना गया था, कहा गया था कि 6 महीने में सब लोग चले जायेंगे, हमें बहुत थोड़े पैसे की आवश्यकता है, इस समय केवल 10 लाख लोग आये हैं, लेकिन जब 10 लाख आ गए तो कटा गया कि हमें अतिरिक्त साधन व धन जुटाना पड़ेगा। सरकार का कहना है कि पोस्टल आर्टिकल टैक्स द्वारा इस वर्ष के अन्दर हम 3.75 करोड़ रुपया टैक्सों के द्वारा प्राप्त करेंगे, लेकिन अब इसके जरिये आगामी वर्ष के लिए जो कल्पना की गई है, वह 0 करोड़ की है अर्थात् सरकार डेढ़ वर्ष तक तो समस्या को रखाई ही समझती है, इस अर्थ में बंगला देश के शरणार्थियों की समस्या हल होने वाली नहीं है इस तरह जिसको आप अस्थायी समझते हैं उसको स्वयं स्थाई मानते जा रहे हैं।

यदि आप इसको स्थायी समस्या मानते तो शायद आगे की कल्पना करके यह बात नहीं कहने। यह समस्या अस्थायी है और कुछ समय के लिए इन करोड़ों को आप लगाना चाहते हैं लेकिन आपने आगे की बात कह कर अपने तौर पर यह बात सिद्ध कर दी है कि आप इस समस्या को आगे भी जारी रखना चाहते हैं। फिर एक करोड़ शरणार्थियों की समस्या कोई साधारण समस्या नहीं है एक बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार न केवल 70 करोड़ के टैक्सों की बात कही है विभिन्न उपायों के द्वारा। इन टैक्सों में पोस्टल आर्टिकल्स पर लगने वाला टैक्स भी है चाहें वह अतर्देशीय पत्र हो, लिफाफा हो या दूसरी पोस्टल वस्तुएं हो। यहां पर संचार मंत्री बंटे हुए हैं, मैं बताना चाहता हूँ कि इन टैक्सों का एक अंतर यह होने वाला है कि अन्तर्देशीय पत्र कम लिखे जायेंगे, लिफाफे कम लिखे जायेंगे और सारे का सारा बोझ पोस्टकार्ड पर ही पड़ने वाला है मंत्री महोदय हम बात को सम्भवतः स्वीकार करेंगे।

पिछले आंकड़े जहाँ तक मुझे मालूम है और जो मुझे प्राप्त हुए हैं संचार मंत्री इसका खंडन करना चाहें तो कर सकते हैं जहाँ तक पोस्ट कार्ड का सम्बन्ध है, सरकार का संचार विभाग इस बारे में घाटे में चल रहा है। एक पोस्ट कार्ड पर सरकार की जितनी लागत आती है उतने में वह बेचा नहीं जाता है इसलिए उस पर घाटा जाता है। आज की स्थिति में अन्तर्देशीय तथा दूसरे पत्रों का भार भी पोस्ट कार्ड पर ही पड़ने वाला है परन्तु उस घाट को यहाँ पर दर्शाया नहीं गया है। यह तो बताया गया है कि लगभग चार करोड़ की आमदनी होगी लेकिन पोस्ट कार्ड पर पड़ने वाला अतिरिक्त भार और घाटा कितना होगा उसको नहीं दिखाया गया है। यदि उस घाटे को भी इसमें सम्मिलित किया गया होता तो मैं समझता हूँ उचित होता और वस्तुस्थिति सामने आता।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान धारा 4 की ओर दिलाना चाहता हूँ। इसमें कम करन और कूट देने की शक्ति बताई गई है। कहा गया है

“जहाँ केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना लोकाहित में समीचीन या आवश्यक है वहाँ, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा वह भविष्यलक्षी या भूतलक्षी रूप में एसी डाक वस्तु या डाक वस्तुओं के वर्ग की वाबन, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जायें, इस अधिनियम के अधीन देय कर को एसी शर्तों पर, यदि कोई हो, जो वह अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे, कम कर सकेगी या उससे छूट दे सकेगी।”

उपाध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में नहीं आता सरकार किम प्रकार भूतलक्षी प्रभाव उपयोग में लायेगी? आज हमसे पांच पैसे प्रति आर्टिकल इकट्ठा किया जाता है और फिर यदि आप पांच पाँच पैसे का भूतलक्षी प्रभाव देना भी चाहे तो वह किस किस की जेब में जाने वाला है? सरकार उसको कैसे लौटाने वाली है? सरकार उसको लौटा नहीं सकती

[डा० लक्ष्मी नारायण पाडेय]

है। इस लिए भूतलक्षी प्रभाव को इसमें रखने का कोई अर्थ सिद्ध नहीं होता है। मान लीजिये आप अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना के द्वारा आप विज्ञापित कर दे कि हम इसको कम करना चाहते हैं परन्तु यदि आप उसको भूतलक्षी प्रभाव देना भी चाहें तो उस व्यावहारिक रूप में दे नहीं सकते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ इस धारा में यह दोषपूर्ण स्थिति है। इसके द्वारा आप केवल जनता को गुमराह करना चाहते हैं कि हम कम भी कर देंगे और छूट भी दे देंगे। इसलिए इस में जो भूतलक्षी प्रभाव देने की बात कही गई है मैं समझता हूँ मंत्री महोदय उस की तरफ ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा होगा। इसमें आपने भूतलक्षी प्रभाव की बात कहकर केवल जनता को विभ्रम में डालने का प्रयत्न किया है।

इसके अतिरिक्त एक बात और मेरी समझ में नहीं आई जिसके सम्बन्ध में मैं अपना सशोधन भी दिया है और वह यह है कि पहली धारा में जम्मू और कश्मीर को इससे निकाल दिया गया है। जम्मू कश्मीर को क्यों छोड़ा गया है यह बात मरी समझ में नहीं आई। हाँ सकता है कि हमसे कोई पृथक् भाव रखत हाँ और पत्रों द्वारा कुछ ऐसा दखने में आया भी है लेकिन इस बारे में हम यह मानकर चलना चाहिए कि यह सम्पूर्ण भारत वर्ष की समस्या है, वह सबट सारे देश का सबट है, जम्मू काश्मीर इससे अलग नहीं हो सकता है। लेकिन इसमें लिसा हुआ है कि इसका विस्तार 'जम्मू कश्मीर के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर होगा'। सम्पूर्ण भारत के जो निवासी हैं उनमें जम्मू काश्मीर के निवासी भी शामिल हैं। लेकिन हम उनको निकाल करके बगला देश की समस्या का समाधान करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ सरकार की जो दोषपूर्ण नीतियाँ हैं उनकी तरफ वह कभी ध्यान नहीं देती है सरकार ने पहले इसके लिए जो अनुमानित व्यय की कल्पना की थी उसमें

दो सौ करोड़ खर्च होने की बात कही थी, फिर साठे चार सौ करोड़ खर्च करने की बात कही गई और अब अनुमान है कि 600 करोड़ से अधिक का खर्चा आयेगा। यह समस्या इस नीति के कारण है जो वर्तमान सरकार अपना रही है और इसमें वह सफल नहीं होने वाली है। यह समस्या अस्थायी नहीं, स्थायी बनती जा रही है। सरकार को जो राशि बाहर से प्राप्त होने वाली है वह बहुत थोड़ी है और उससे कोई काम चलने वाला नहीं है। दश पर आई हुई इस सबट की घड़ी में जबकि पाकिस्तान के द्वारा एक आक्रमण की स्थिति हमारे ऊपर बनी हुई है उसमें सरकार के साथ हमारी पूरी सहानुभूति है लेकिन सरकार ने जिस प्रकार का रख अपना रखा है वह निम्ननीय है। अध्यादेशों के द्वारा जहाँ तक कर बसूल करने की बात है, मैं उन बातों को दोहराता नहीं चाहता जो कि मैं विधायक के पुर स्थापित होत समय कही थी। लाकसभा के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री भावलकर जी और ए० जवाहरलाल नेहरू के बीच में जा पत्र-व्यवहार हुआ था उसको भी मैं यहाँ पर दाहराना नहीं चाहता। मैं समझता हूँ अध्यादेशों की इस प्रकार से भ्रष्टी लगाना कदापि उचित नहीं ठहराया जा सकता। ऐसे अनावश्यक अध्यादेश जिनकी कोई इमरजेन्सी न हो जारी नहीं किए जान चाहिए। विशेष रूप से वित्तीय मामले को लेकर कर लगाने के लिए तो अध्यादेश आन ही नहीं चाहिए। सरकार न यहाँ पर जो करों का बोझ जनता के ऊपर डाला है जोकि कम से कम अध्यादेश के द्वारा नहीं डाला जाना चाहिए था।

एक बात और कहकर समाप्त करूँगा। सरकार ने रेल भाड़ा बढ़ाया है। मैं उस सबब में कुछ दोहराना चाहता हूँ लेकिन यह कहना चाहता हूँ कि यदि कोई समाचार भेजना चाहें तो वह भी महंगा, यदि कोई समाचार पढ़ना

चाहे तो भी मंहगा। इसमें समाचार पत्रों को भी नहीं छोड़ा गया है। वे भी अब कीमत बढ़ाने लगे हैं। यह तो अपनी अपनी रुचि का विषय है कि कोई हिन्दुस्तान टाइम्स पढ़ता है, कोई नवभारत टाइम्स पढ़ता है तो कोई टाइम्स आफ इंडिया पढ़ सकता है। कोई दूसरे पत्र, लेकिन आपके टैक्स के कारण वे भी महंगे हो गये। तेमी दशा में समाचार पढ़ना, समाचार भेजना और रेलों पर आना जाना निरन्तर मंहगा होता जा रहा है। जनता पर यह टैक्सों का बोझ अध्यादेशों के द्वारा लाया गया है और अब बहुमत के आधारे पर उसकी स्वीकृति प्राप्त करने की चेष्टा की जा रही है। सरकार की यह मनोवृत्ति ठीक नहीं है। इस लिए मैं अध्यादेश का विरोध करता हूँ और सरकार में आग्रह करता हूँ कि अध्यादेश के स्थान पर वह जो यह विधेयक लाई है उसको वापिस ले ले। अध्यादेश द्वारा टैक्स लगाने की यह जो प्रवृत्ति केन्द्रीय सरकार ने अपनाई है वह केवल केन्द्र तक ही सीमित नहीं है बल्कि राज्य सरकारों भी अब निरन्तर अध्यादेशों के द्वारा टैक्स लगा रही है। अनेक राज्यों ने जैसे मध्य प्रदेश ने अध्यादेश के द्वारा टैक्स लगाने की बात है। दूसरे राज्यों ने भी ऐसा ही किया है। केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा इस प्रकार आम जनता की दैनिक वस्तुओं पर जो कर लगाये गए हैं उससे निम्न तथा मध्यम वर्ग भयंकर रूप से प्रभावित हुआ है। मैं समझता हूँ आज के सकट के समय में इस प्रकार की सरकार की मनोवृत्ति ठीक नहीं है। सरकार को चाहिये कि अध्यादेश के साथ ही यहाँ पर उसने जो विधेयक पेश किया है उसको भी वापिस ले।

THE MINISTER OF STATE IN THE
MINISTRY OF FINANCE (SHRI K. R.
GANESH): Sir, I beg to move* :

"That the Bill to provide for the

levy of a tax on certain postal articles, be taken into consideration."

As the hon. Members are aware, after discussing the matters with the Governors and Chief Ministers of States, at a meeting held on the 12th October, 1971 certain steps were taken to raise additional resources for being utilised for the relief of Bangla Desh refugees. One such step was the promulgation of the Tax on Postal Articles Ordinance, 1971 (18 of 1971) to provide for levy of a tax at the rate of five paise on all postal articles including money orders, phonograms and telegrams but not including post cards and registered newspapers.

The levy which has come into force from 15th November, 1971 is expected to yield a revenue of about Rs. 10 crores in a full year and of about Rs. 3.75 crores in the current year for being utilised on the relief of the Bangla Desh refugees. In order that the poorer section of the society is not burdened with this levy, post cards have been kept out of its purview. Similarly, the tax will not be levied on "registered newspapers" transmitted by post. Keeping in view the concession in respect of postage available to our Defence forces, exemption from tax has also been allowed on the transmission of forces letters, green envelopes and money orders upto Rs 30/- per month by Defence Services, by issue of a notification under section 4 of the Ordinance. This tax will be collected by the postal authorities along with the postage, fees or other charges payable in respect of postal articles. As such no difficulty is likely to be experienced in the matter of collection of this tax.

It became necessary to impose this levy through an Ordinance for the following reasons Parliament was not then in session. Action had to be taken immediately to raise maximum resources. Steps were to be taken to make the special stamps available to the general public before the 15th November, 1971, the date on which the levy was due to commence. It was also necessary to make all other administrative arrangements for the collection of the tax before the said date. The date of effect of the levy had to be kept as 15th November, 1971 as preparatory steps referred to above were necessary to avoid inconvenience to the public. *

*Moved with the recommendation of the President,

[Shri K. R. Ganesh]

15.00 hrs.

I commend the present Bill which seeks to replace the above Ordinance. As the objective underlying the levy is for a very laudable purpose, I request the House to unanimously accept the Bill.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Motion moved :

"This House disapproves of the Tax on Postal Article Ordinance, 1971 (Ordinance No. 13 of 1971) promulgated by the President on 22nd October, 1971" ;

"That the Bill to provide for the levy of a tax on certain postal articles, be taken into consideration."

*SHRI T. S. LAKSHMANAN (Sriperumpudur) : Mr. Deputy Speaker, Sir, as a Member elected from Sriperumudur Constituency in Tamil Nadu, this is the first time I participate in a discussion of this House and I am thankful to you for giving me an opportunity to participate in the Debate on the Bill to provide for the levy of a tax on certain postal articles.

Just now, the House passed the Railway Passenger fare bill, which is certainly going to affect the poor travelling public in III class. It is estimated that from the three Ordinances involving taxation proposals promulgated by the President during the inter-session, the Government would be able to raise a sum of Rs. 70 crores. It is not known what would be the amount of revenue from the taxes on postal articles. It is also not clear whether these taxes will be for a temporary period or on a permanent basis.

Nobody in this House can deny the fact that by the imposition of tax on inland letters, covers and money-orders the poor people will be hard hit. On one side the railway fare is going up. The prices of newspapers have gone up. The stamp duty has been raised. The prices of essential commodities also are going up steeply.

Besides the Central Government, the Governors of different States have issued ordinances involving taxation proposals. It is accepted that the revenue raised through these sources will be utilised to

give relief and succour to the millions of Bangla Desh refugees. But, at the same time, if the Central Government makes an earnest endeavour to reduce its administrative expenditure, this amount of Rs. 70 crores could be easily raised without taking recourse to taxes affecting the common people.

For example, in the Delhi circle alone, several lakhs of rupees remain outstanding as telephone tariff arrears. If you see all over the country, then this may run to some crores of rupees. Secondly, the Government could easily have raised the premium rate of Postal Life Insurance to the level of premium rate charged by the Life Insurance Corporation. At the moment the Postal Life premium is very much less. Thirdly, instead of raising the price of inland letters and covers, the Government could have raised the postal charges in foreign postal rates. This would have yielded the necessary revenue.

I would also refer to another important factor which has not been looked into by the Ministry. The 112th Report of Public Accounts Committee has stated as follows :

The postal branch suffered a loss of Rs. 6.16 crores in 1968-69 and Rs. 7.06 in 1969-70. The telegraph branch suffered a loss of Rs. 6.71 crores in 1968-69 and Rs. 6.86 crores in 1969-70. Even after raising the postal and telegraph tariffs, the postal branch suffered a loss of Rs. 2.72 crores in 1970-71 and Rs. 7.16 crores loss was suffered by the Telegraph Department. As on 1.10.1969 the arrears of telephone revenue was Rs. 3.22 crores and Rs. 6.78 crores was outstanding on 1.7.1970 as arrears of telephone revenue. Out of the total arrears of telephone revenue, 50% is to be paid by the Government Departments. I need not say that there are malpractices in the postal department and it is not working satisfactory. I do not know the steps taken by the Ministry to set right the Posts and Telegraphs Department. If they had taken adequate steps to root out the deficiencies, naturally such heavy losses could have been averted. If the telephone charges were being collected on time there would have been no necessity for this levy now. I do not know the arrears of telephone revenue as on 1.7.71. But, if the sum of Rs. 6.78 crores as outstanding on 1.7.70 had been

*The original speech was delivered in Tamil.

collected, the present levy would have become unnecessary.

I would urge upon the Ministry that at least now they should adopt remedial measures so that there will be no need for levying new taxes in the coming year. Here, I would like to point out that the cultivator who goes to work when the cock crows and returns home when the owl hoots in the night pays all his dues to the authorities. But the dues of the Government are not paid by only a handful of rich people. It should not be difficult for the Government to take action against these people and collect the dues from them.

In the end, I would like to appeal to the Minister that the tax on inland letters and cover should at least be withdrawn so that the poor people are not unduly harassed by this new levy.

With these few words, I conclude.

SHRI S. N. MISRA (Kannau) : Sir, the first difficulty I find in regard to this Bill is this. It has been stated in the House itself that the refugee problem is a temporary phase for the country. I would therefore expect that the Central Government should have made it clear that the present legislation was intended only as a temporary measure for a period of one year in the first instance and it may be extended further for a period of two years if necessary. But from the fact that this has not been mentioned in the Bill, it appears that the refugee problem will be a permanent feature for the country.

The second difficulty is that while all the States and Union Territories in the country are bearing the burden of Bangla Desh refugees, one part of the country, i.e., Jammu and Kashmir, has been excluded. This is not compatible with what we call equality in respect of all the States. Jammu and Kashmir should equally bear the burden. If these two amendments are made in the Bill, we can certainly support the Bill.

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय, बंगला देश से आये हुए शरणार्थियों की मदद के नाम पर यह बिल पोस्टल आर्टिकल्स पर टैक्स लगाने के लिये पेश किया गया है। इसमें यह बतलाया गया है कि 12 अक्टूबर को राज्यों के राज्यपालों

श्रीर मुख्य-मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था उसमें बंगला देश से आये लगभग एक करोड़ शरणार्थियों की मदद के लिए अतिरिक्त साधन जुटाने का फैसला किया गया। उसी फैसले के मुताबिक डाक सामग्रियों पर कर लगाने के अध्यादेश की राष्ट्रपति जी ने घोषणा की। उनकी घोषणा 15 नवम्बर से लागू हुई, जिस दिन से लोक सभा का सत्र प्रारम्भ होने वाला था। इसके पहले जब रेलवे भाड़े में वृद्धि की चर्चा चल रही थी तब बहुतेरे सदस्यों ने यह ठीक ही कहा था कि जब लोक सभा का सत्र तुरन्त ही प्रारम्भ होने वाला था तब इस तरह के आर्डिनेंस की क्या आवश्यकता थी। उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। इस तरह से करने से लोगों की जनतन्त्र पर से ग्राह्यता कम होती है और यह संसद एक मखौल बन जायेगी।

जब पहले मंत्री जी बोल रही थीं उन्होंने कहा था कि 12 लाख रुपये प्रत्येक दिन के हिसाब से आमदनी आ रही है सब करों को मिला करके सरकार को अब तक 1 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि मिल चुकी है। मैं कहना चाहता हूँ कि हम इसको कुछ दिनों के लिये रोक सकते थे। और अगर इस तरह के कानून को लाना ही था तो 15 नवम्बर को सत्र प्रारम्भ होने के बाद इसको वे ला सकते थे। लेकिन ऐसा न करके गलत काम किया गया। इसी लिये हम लोग इसका विरोध करते हैं। ग्राम तौर से मैं सब आर्डिनेंसों के विरुद्ध नहीं हूँ, लेकिन यहाँ आप पूंजीपतियों पर, इजारेदारों पर, चोट करने वाले आर्डिनेंस लाये, न कि ऐसे आर्डिनेंस जिन से आम जनता पर चोट पड़ती हो। इन आर्डिनेंसों से आपने आम जनता पर चोट की, गरीबों पर चोट की, मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग के लोगों पर चोट की, किसान मजदूरों पर चोट की। इसलिए मैं इस तरीके के विरुद्ध हूँ और इस बिल का विरोध करता हूँ।

इस आर्डिनेंस के मुताबिक पांच पैसे पंद्रह

[श्री रामावतार शास्त्री]

पैसे बाले अन्तर्देशीय पत्र पर भी बढ़ गए हैं। कैबल पोस्ट कार्ड को इससे मुक्त रखा गया है। बाकी तमाम चीजों पर, पोस्टल प्रॉटिकलज पर पांच पैसे बढ़ा दिये गये हैं। जो लिफाफा बीस पैसे में मिलता था अब उसके पच्चीस पैसे देने पड़ रहे हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी है, पच्चीस पैसे का लिफाफा दुनिया के शायद किसी भी देश में नहीं है, इससे बहुत कम कीमत में मिलता है। लेकिन यहाँ दाम बढ़ा दिये गये हैं और शायद सरकार समझती होगी कि लिफाफे कुछ बड़े-बड़े लोग ही इस्तेमाल में लाते हैं अन्तर्देशीय पत्र बड़े-बड़े लोग ही इस्तेमाल में लाते हैं। शायद मनी आर्डर भी सरकार के विचार से बड़े-बड़े लोग ही भेजते हैं। लेकिन मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि करोड़ों-करोड़ मजदूर जो फारखानों में काम करते हैं, खानों में काम करते हैं, वे जो पंसा मुश्किल से बचा पाते हैं अपनी मजदूरी से से, उसको मनीआर्डर के द्वारा ही भेजते हैं। सभी लोग पोस्ट कार्ड ही नहीं लिखते हैं। बहुत बड़ी संख्या में गरीब लोग भी अब लिफाफों का इस्तेमाल करने लग गए हैं, अन्तर्देशीय पत्रों का इस्तेमाल करने लग गये हैं। लेकिन आपने इनकी कीमत को बढ़ा कर उनपर ही बोझ लादा है। इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि आपको शरणाथियों की समस्या हल करने के लिए उनकी मदद करने के लिए पैसे की जरूरत है। लेकिन उसके लिये दूसरे रास्ते ढूँढ जाना चाहिए थे। ऐसा न करके आपने ग्राम जनता पर टैक्स लगाना ही मुनासिब समझा है। इस बास्ते हम कहते हैं कि यह कार्रवाई सरकार की जन-विरोधी कार्रवाई है। आप गरीबी हटाने की बात करते हैं, साधारण लोगों को ऊपर उठाने की बात करते हैं, बड़े लोगों को नीचे लाने की बात करते हैं लेकिन मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि आम लोगो में यही धारणा फैल रही है कि उन्हें पर बोझ डाला जा रहा है और

बड़े लोगो को छोड़ा जा रहा है, उनपर कोई बोझ नहीं डाला जा रहा है। इस तरह के आप गरीबी नहीं मिटा सकेंगे, गरीबों को ऊंचा नहीं उठा सकेंगे। इसी अर्थ में तमाम जगह इसका विरोध हो रहा है। जनता ने इसको पसन्द नहीं किया है। लेकिन आपने जो यह कहा है कि शरणाथियों के लिए जो आजादी की लड़ाई लड़ते हुए याहियाशाही के जुल्मों का मुकाबला करते हुए हमारे यहाँ चले आए हैं, उनके लिए धन की आवश्यकता है, इसके प्रति जनता की हमदर्दी है। लेकिन वह समझती है कि इस तरह से उनपर टैक्स नहीं लगना चाहिये। लेकिन आपने ग्राम जनता के मर्म-स्थल पर चोट करने की कोशिश की है विस्थापितों के नाम पर। मैं चाहता हूँ कि आप बड़े लोगो पर कर लगायें। किन लोगो पर लगायें, यह मैं आपको बतलाना चाहता हूँ। अगर आप को टैक्स लगाना था तो आप आयातित शराब पर टैक्स लगा सकते थे। उसपर क्यों नहीं लगाया गया? इस वास्ते नहीं लगाया गया कि उसे बड़े लोग पीते हैं और मध्यम और निम्न आय वर्ग के लोग, गरीब किसान, शहरो में रहने वाले गरीब मजदूर नहीं पीते हैं? जिन के पाम ज्यादा पंसा है, जो ऐश करते हैं, जो धन का दुरुपयोग करते हैं, जो मौज मेला करते हैं विश्वास करते हैं, वही इसका इस्तेमाल करते हैं। उनपर टैक्स लगाना चाहिये था न कि पोस्टल सामग्री पर।

उसी तरह से हमारे देश में 75 घराने इजारेदारों के हैं, पूँजीपतियों के हैं। उनकी सैकड़ों और हजारों कम्पनियाँ हैं। उनपर और उनके कंपिटल पर, उनकी पूँजी पर आपको सैस लगाना चाहिए था। उनके रिजर्व फंड पर सैस लगाते। उनके डिबिटेंड पर सैस लगाने की कोशिश करते। यह रास्ता था न कि साधारण जनता पर टैक्स लगाने का। आप कम्पनियों का वर्गीकरण कर सकते थे

श्रीर बर्गीकरण करके आप सेस लगा सकते थे। अगर आप ऐसा करते तो आपको बहुत पैसा मिल सकता था। अभी जितना पैसा इकट्ठा कर रहे हैं उमने कई गुना अधिक पैसा आप एकत्र कर सकते थे। विस्थापितों को हम ठीक से रख नहीं पा रहे हैं, उनके रहने का ठीक से इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं, उनके खाने का बंदोबस्त नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपने इन लोगों पर टैक्स लगाया होता तो ये सब काम आप आसानी से कर सकते थे। धनी किसानों पर टैक्स लगाना चाहिए था।

इसी तरह से इनकम टैक्स का पांच अरब रुपया आज भी बकाया पड़ा हुआ है जो वसूल नहीं किया जा रहा है। आप यह रुपया सल्टी करके वसूल कर सकते थे। छः अरब रुपया ऐसा है जो ब्लैक मनी है। यह वह रुपया है जो लोगों का खून चूस कर पैदा किया गया है, भ्रष्टाचार करके पैदा किया गया है। तरह-तरह की घूसखोरी भी चलती है। बड़े-बड़े मगरमच्छ और जनता के दुश्मन इसको दबाये बैठे हैं। जनता का खून चूसते रहे हैं। इसको आप निकालते। उनसे आप लेते। लेकिन आपने यह नहीं किया।

आपने जो डाक की सामग्री पर कर लगाया है इसमें बहुत सा हिस्सा आपके गवर्न-मेंट डिपार्टमेंट्स का भी है। गवर्नमेंट डिपार्ट-मेंट्स से पैसा इसके द्वारा फाइनेम डिपार्टमेंट के पास जाएगा। क्या आपने अन्दाजा लगाया है कि गवर्नमेंट के प्रत्येक विभाग से कितना रुपया आपको मिलेगा और आम जनता से आपको कितना मिलेगा ?

इन सब बातों को देखते हुए अगर आप सही मानों में शरणाधिकियों की मदद करना चाहते हैं—हम भी मदद करना चाहते हैं, पूरा देश इस मामले में एक है, कोई मतभेद नहीं है—तो आप उन लोगों पर जिनकी हूपने चर्चा की है, टैक्स लगायें और गरीबों पर टैक्स न

लगायें। अब तो आम जनता के दिमाग में यह गलत भावना फैलने लगी है कि ये विस्थापित कहां से चले आए हैं कि हमारे ऊपर ही टैक्स लगने शुरू हो गए हैं। इस तरह की बातें लोग कभी-कभी बोलते हैं। कहते हैं कि यह क्या हुआ, हम तो मदद करना चाहते हैं लेकिन हमारे ही ऊपर टैक्स लग गया है विस्थापितों के नाम पर। इस प्रकार की भावना फैलने नहीं देना चाहिए, इस भावना का प्रचार और प्रसार न हो, इसको आपको देखना चाहिये। यह तभी होगा जब आप ऐसे लोगों पर टैक्स लगाना बन्द कर देंगे जो देने की स्थिति में नहीं हैं। जो बड़े-बड़े इजारेदार हैं, जो पूंजी-पति हैं, जो टैक्सों का रुपया पचाए हुए हैं, ब्लैक मनी रजे हुए हैं, ऐसे लोगों पर आप टैक्स लगायें।

उपाध्यक्ष महोदय, हम इस बिल का विरोध कर रहे हैं और प्रार्थना करते हैं कि इसको वापिस ले लिया जाए—और बड़े लोगों पर टैक्स लगाने वाला बिल सदन के इसी सत्र में लाया जाए और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उसका सम्पूर्ण सदन एक मत से समर्थन करेगा और हमारे देश पर भी जो खतरा है, जिसका हमें मुकाबला करना है, उस खतरे के खिलाफ लड़ने में जनता में उत्साह पैदा होगा। आम जनता की जब पर हमला करके उसमें आप उत्साह पैदा नहीं कर सकते हैं। आप आम जनता को अपने साथ लेना चाहते हैं तो उसकी दिक्कतों को आप समझें और उस पर अति-रिक्त जोशान डालें और जो लोग देने की स्थिति से हैं, उन पर ही बोझ डालें।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का जोर-दार विरोध करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि इसको मंत्री महोदय वापिस ले लें।

श्री रामकंवर (टोंक) : आर्डिनेंस के द्वारा सरकार ने जो सत्तर करोड़ का टैक्स शरणा-धिकियों के खर्च को बहन करने का हवाला दे कर लगाया है और जिस की अब वह लोक

[श्री राम कंबर]

सभा से स्वीकृति लेने हेतु यहां एक बिल लाई है, मैं उसका विरोध करता हूँ। यह आश्चर्यजनक बात है कि एक प्रो. राष्ट्रपति ने इसी संसद की बैठक बुलाई प्रो. दूसरी ओर इसी अवधि में इन सत्तर करोड़ के टैक्सों के अध्यादेश जारी कर दिये गये और जनता पर इन टैक्सों का बोझा लाद दिया गया। यह इस बात का द्योतक है कि सत्तारूढ़ दल और उनके नेता का इस सदन पर और जन-प्रतिनिधियों पर विश्वास उठता जा रहा है। इसी कारण से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि पग पग पर उसे दरकिनार करने का प्रयत्न किया जा रहा है। अगर यह टैक्स इसी सदन में सरकार एक संशोधित बजट के द्वारा लाती तो इस पंद्रह दिन के भीतर कुछ बिगड़ नहीं जाता, कोई आफत का पहाड़ तो सरकार पर गिर नहीं जाता। यह तो संबंधित है कि सत्तारूढ़ दल को पूर्ण बहुमत इस सदन में प्राप्त है।

जहां तक शरणार्थी समस्या का सम्बन्ध है, यह अमानक तो पंदा नहीं हो गई है। पिछले बजट में ही जहां अरबों रुपये के टैक्स लगाए गए वहां इसे छोड़ दिया गया? चूंकि इसको तब छोड़ दिया गया इस वास्ते यह इस बात को प्रमाणित करता है कि सरकार अदूरदर्शी है।

यह जो पांच पैसे वाला टिकट लगाने वाला मामला है, यह बड़ा आपत्तिजनक है क्योंकि गांवों के अनपढ़ और भोले-भाले गरीब लोग इससे बड़ी भारी कठिनाई का अनुभव करेंगे। पांच पैसे बगला देश वाला टिकट अलग से लगाना होगा, इस चीज को ग्रामीण जनता और अनपढ़ लोगों के लिए समझना बड़ा मुश्किल होगा। अगर सरकार को यह टैक्स लगाना ही था तो टिकटों की कीमत ही वह बढ़ा देती तो मैं समझता हूँ कि उनको अलग से खास टिकट खरीदने की जरूरत न पड़ती।

सरकार ने इशारा किया है कि बगला

देश की समस्या हल हो जाने के बाद इस प्रकार की जो टिकटें हैं, इनको वह वापिस ले लेगी और यह टैक्स नहीं रहेगा। लेकिन मैं इस चीज की कोई उम्मीद नहीं रखता हूँ। इसका कारण यह है कि कितनी ही बार राजस्थान में अकाल घोषित कर दिये जाने के बाद और किसानों का लगान माफ कर दिये जाने के बाद भी उसको वसूल कर लिया गया है। इसलिए पांच पैसे का टिकट अलग से लगाने का जो प्रावधान किया जा रहा है, उसका मैं मूलतः विरोध करता हूँ।

श्री रामदेव सिंह (महाराजगंज) : आर्डिनेस के माध्यम में जो पोस्टल आर्टिकल्स की कीमत में वृद्धि की गई है, उसका मैं विरोध करता हूँ। जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने बताया है, लगना यह है कि सत्तारूढ़ दल का इस सदन पर से तथा जन-प्रतिनिधियों पर से विश्वास उठता जा रहा है।

माननीया राज्य मंत्रिणी ने कहा है कि हम लोग अध्यादेश लागू करने के विरोधी हैं, लेकिन क्या करें, जब क्राइसिस का पीरियड आता है, जब सकटकालीन स्थिति आती है, तो हम मजबूर हो जाते हैं। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जब इंग्लैंड पर गोले बरसाये जा रहे थे और घमासान युद्ध हो रहा था, उस जमाने में भी वहां पर आर्डिनेस के जरिये कोई कर नहीं लगाया गया बल्कि हाउस आफ कामन्स की बैठक बुला कर कानून पास किया गया। मुझे ऐसा लगता है कि अगर सविधान में कुछ समय के भीतर इस सदन की बैठक बुलाना आवश्यक न होता, तो शायद सत्तारूढ़ दल इस सदन की बैठक ही न बुलाता और जन प्रतिनिधियों को इग्नोर करके, तरह तरह के बहाने कर के राष्ट्रपति के माध्यम से अपना काम चला लेता।

हमारे देश में जो शरणार्थी प्राये हैं, उन की देख-भाल और हिफाजत करना इस देश

की नैतिक जिम्मेदारी है। लेकिन जैसा कि श्री मिश्र ने कहा है, ये शरणार्थी इस देश में हमेशा रहने वाले हैं। मुझे लगता है कि हमारा देश युगों तक इन शरणार्थियों की समस्या से घिरा रहेगा। आप इतिहास के पन्ने उलट कर देखें कि क्या शरणार्थियों की समस्या नई है। प्रकृति ने त्रिस देश को एक बनाया है, कुछ राजनेताओं ने जल्दी सत्ता प्राप्त करने के लोभ में, विदेशी साम्राज्यवादियों के कुचक्रों का शिकार होकर, दिल्ली में बैठ कर कागज़ पर उसकी एकता को भंग कर दिया। प्रकृति कभी इस देश की एकता भंग किए जाने को बर्दाश्त नहीं कर सकती है।

इसलिए सत्तारूढ़ दल और उसके प्रधान मंत्री से मेरा निवेदन है कि वे इस समस्या को समझें। या तो प्रेम से और या तलवार से इन दोनों देशों का कानफेडरेशन बनाना होगा और उनकी सुरक्षा की संयुक्त व्यवस्था करनी होगी, अन्यथा इस तरह की समस्यायें आती रहेंगी और हमें कभी भी उनसे मुक्ति नहीं मिल सकेगी। इस कृत्रिम बनावट को तोड़ना होगा। सत्ता को प्राप्त करने के लिए कुछ राजनेताओं ने युगों से चली आ रही जिस एकता को तोड़ दिया, उसको फिर से लाना होगा। इसके अलावा हमारी समस्याओं का कोई हल नहीं है।

ये शरणार्थी वापिस जाने वाले नहीं है...

MR. DEPUTY-SPEAKER : We are not discussing about the refugees or confederation. We are discussing about these taxes.

श्री राम देव सिंह : जिस समस्या के नाम पर ये टैक्स लगाये गये हैं, मैं उसी समस्या का जिक्र कर रहा हूँ। जिस मुर्गी को दिल्ली में बैठ कर श्रीमती इन्दिरा गांधी ज़िबह कर रही हैं, उसको बिहार में बैठ कर श्री भोला शास्त्री ज़िबह कर रहे हैं। ये टैक्स किन लोगों पर लगाए जा रहे हैं? गांवों में रहने

वाले लोगों पर। आज देश के सारे गांव बेकारी की भाग में जल रहे हैं। इस देश में रोजी-रोजगार के अवसर नहीं बढ़े हैं।

MR. DEPUTY-SPEAKER : We are not discussing about Shri Bhola Paswan Shastri. We are discussing about the taxes proposed by the Central Government on certain postal articles.

श्री राम देव सिंह : यह टैक्स गांवों के कामन मैन पर लगाया गया है। इसलिए हमें अधिकार है उसकी चर्चा करने का, उसकी स्थिति को एक्सप्लेन करने का।

MR. DEPUTY-SPEAKER : The Chief Minister of Bihar is not imposing these taxes. You are a senior Member of this House, you should know.

श्री राम देव सिंह : मैं चर्चा कर रहा हूँ गांवों में रहने वाले कामन मैन की, जिसपर डम अध्यादेश के माध्यम से कर लगाया गया और बता रहा है कि आज उसकी स्थिति क्या है। उस पर कई तरह के टैक्स लगाये जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि नियमानुसार मुझे उस पर बोलने का अधिकार है।

MR. DEPUTY-SPEAKER : You have a right to speak. You can say, this is imposing a burden on the common-man, but Mr Bhola Paswan Shastri is not the common-man discussed here.

श्री राम देव सिंह : मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार उन लोगों पर टैक्स लगा रही है, जिनको वह रोजगार नहीं दे रही है, जिन की हालत बहुत दयनीय है, जो भरपेट खा नहीं सकते हैं जो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे सकते हैं, बीमार पड़ने पर उनको दवा नहीं दे सकते हैं। सरकार ने जो टैक्स पहले से लगा रखे हैं, वे तो बसूल नहीं हो पा रहे हैं। अगर सरकार उनकी बसूली के लिए अपनी एजेंसी को सक्रिय बनाती, तो मैं समझता हूँ कि उसको ये नये टैक्स न लगाने पड़ते।

[श्री राम देव सिंह]

जैसा कि मैंने कहा है, यह शरणार्थियों की प्रबलम कभी सत्त्व नहीं होने वाली है। तिब्बत से आये हुए लाखों शरणार्थी आज भी इस देश के विभिन्न भागों में बँटे हुए हैं। अब जो शरणार्थी आ रहे हैं, वे भी हमेशा इस देश में बँटे रहेंगे। सत्तारूढ़ दल के लिए तो यह कल्याण की बात हो जाती है। लेकिन जो देश के गरीब लोग हैं जिनको सत्तारूढ़ दल ने भ्रमा कर, समाजवाद लाने, गरीबी हटाने और परिवर्तन लाने का नारा दे कर जिसके वोट लिये थे, अब वे स्पष्टीकरण मागत है, सत्तारूढ़ दल के खिलाफ विद्रोह करते हैं।

MR DEPUTY-SPEAKER : You are going far out of the subject under discussion now.

PROF. P. K. DEO (Kalahandi) : This is directly concerned with this slogan—*garibi hatao*.

श्री राम देव सिंह : शरणार्थियों की प्रबलम को सरकार ने क्रीएट किया है और अब वह अपने आप को बचाना चाहती है।

श्री के० एन० तिवारी (बेतिया) : माननीय सदस्य कुछ समझ कर बोले।

श्री राम देव सिंह : मेरी समझ तो चली गई है तिवारी जी के पास। मैं बोलूँ क्या।

इस प्रबलम को खुद क्रीएट करके अब सरकार चाहती है कि देश की जनता, जिसको सत्तारूढ़ दल ने सब्ज बाग दिवा कर सत्ता प्राप्त की है, उससे स्पष्टीकरण न मांगे। कभी यह याहियाबां की चर्चा करती है, कभी शरणार्थियों की और कभी बाहरी खतरे की।

चूँकि सरकार जन-प्रतिनिधियों को इन्फोर कर के एक आर्डिनेंस के माध्यम से टैक्स लगाती चली जा रही है—वह और कितने टैक्स लगायेगी, यह कहना मुश्किल है—, इस लिए मैं इस बिल का विरोध करता हूँ।

PROF. S. L. SAKSENA (Maharajganj) : First of all, I oppose this Bill because it has imposed a tax by ordinance. This has never been done before in the history of this House. Secondly, I oppose it because it is stated that this is a tax for the refugees. Sir, the refugees are our guests. Let us not impose a tax in their names and make them unpopular. That is my first point. We must meet all these charges out of our own General Revenue.

I think this sum of Rs. 70 crores could have been raised by savings, by austerity, in spending of the various Ministries and Departments and by other methods. By this measure you have taxed the poorest of the poor; you have put more taxes on essential commodities. You have said that it is a temporary measure and will remain only so long as refugees are here. But how do the Government hope to send the refugees back? They first thought that world opinion would be able to persuade Yahya Khan to negotiate with the Awami League and then the refugees would go back. This has failed. They now think that the Mukti Bahini will win the battle and then the refugees will go back. But I do not think that the Mukti Bahini alone can win the battle and establish the raj of the Awami League. Unless our forces go and attack the forces of Pakistan there, we cannot send these refugees back there. But there our Government are hesitating. It was high time that we fought the Pakistani army and made Bangla Desh an independent country and establish a government there so that the refugees could go back and these taxes might not continue for ever. I hope that Government will now see that Bangla Desh is recognised and we should fight the battle and make Bangla Desh a reality, so that these taxes may not continue.

SHRI K. R. GANESH : I have heard hon. Members who have participated in this debate, and I have noted the suggestions made by them. Since yesterday, we have been discussing in this House the series of steps that Government have taken in the form of ordinances and which the Bills that we have been discussing seek to replace.

Out of all the speeches that have been made and the various suggestions made by

hon. Members, two points emerge on which I wish to make my submissions. One is that Government are taking recourse to ordinances and have no faith in the parliamentary procedures and conventions and because of the majority that they have got, they are trying to bypass Parliament. Sir, I submit that we are in an extraordinary situation. Day in and day out, hon. Members themselves have been drawing the attention of Government to this extraordinary situation. It is a continuing situation. Only yesterday, this House heard the speech of the Prime Minister from which the country know that the military junta in Pakistan had declared an emergency in their country. I think it is not the contention of hon. Members that the compulsions of the situation do not require the taking of certain appropriate steps.

Hon. Members have also said that since Parliament was to meet on the 15th November, it was not necessary to impose these levies and taxes through ordinances. As I have already explained in my statement, the decision to go in for resource mobilisation to meet the tremendous financial burden imposed on the country as a result of the situation on the frontiers and the tremendous burden of the Bangla Desh refugees was taken at a conference of the Chief Ministers and Governors held on 12th October. The Government felt that it was necessary for them to take the Chief Ministers and the Governors into confidence and convey to them the seriousness of the situation and to see their assistance in making the resource mobilisation a success and then take the necessary steps. These steps have been taken as a result of the consensus that was arrived at in that conference.

By means of this Bill which seeks to replace the Tax on Postal Articles Ordinance, we have come before the House within the shortest possible time to have the concurrence of the House for the step that we have taken,

SHRI P. K. DEO : That is mandatory.

SHRI K. R. GANESH : True.

There has been quite a lot of criticism about the use of ordinance. An hon. Member opposite of the CPI and others have welcomed ordinances in the past. It is not just an academic discussion. They have welcomed the ordinances on bank

nationalisation, general insurance nationalisation, the coal mines and so on, ordinances through which the social policy of this Government were given effect to. I can very well understand the opposition of Shri H. M. Patel and Shri P. K. Deo because they are opposed to all decisive steps the Government want to take to give effect to its socialist policies.

SHRI P. K. DEO : It is a perversion of Parliament.

SHRI K. R. GANESH : Of course, we have to come to Parliament. Even if we wanted to, we cannot bypass Parliament because we are also answerable to the people. We have been elected and put in power here on the basis of certain values and standards that this Government has set itself for the last 20 years.

SHRI P. K. DEO : Then have a dialogue with the House.

SHRI K. R. GANESH : There is no question of taking up a defensive position. I am submitting that in a growing country like this, in a transitional stage, when we want to usher in a socialist society, there will be many occasions when Government will have to act in a judicious manner bring forth legislation initially through ordinance which will later have to be approved by Parliament.

PROF. S. L. SAKSENA : Not taxation by ordinance.

SHRI P. K. DEO : Like the firmans of a Moghul.

SHRI K. R. GANESH : Hon. members referred to the correspondence between the former Prime Minister, Shri Jawaharlal Nehru, and a former Speaker. I would like to quote from that letter of July 1954 which represents the basic stand of the Government. Panditji said in that letter :

“We have been reluctant to issue ordinances and it is only when we felt compelled to do so by circumstances that we have issued them. You will appreciate that it is the responsibility of the Government to decide what steps should be taken in a particular contingency. The Constitution itself has provided for the issue of ordinances

[Shri K. R. Ganesh]

where such necessity arises and that decision has to be exercised by Government."

In the past two days, we have been trying to convey to the House that in the present situation when there is an urgency there is need for this. Of course, those who do not feel there is an urgency will not accept this argument and I cannot convince them. In this situation, we do not know what is going to happen in the new few days and how many more ordinances have to issue because we are living in an extraordinary situation.

MR. DEPUTY-SPEAKER : When Parliament is in session, no ordinance can be issued.

SHRI K. R. GANESH : I know. Obviously that cannot be done. I am only meeting an argument. We have issued a very limited number of ordinances and we have also listed the reasons for doing so.

PROF. S. L. SAKSENA : 13.

SHRI K. R. GANESH : Also Parliament will have to approve these ordinances and they will be the ultimate judge as to whether the use of these ordinances has been right or wrong. I took the time of the House to quote the letter of the Former Prime Minister only to indicate the view of Government on the issue of ordinances. We contemplate it only in an emergency situation.

There is another point which I would like to make. Hon. Members have submitted that since Parliament was to meet on the 15th November, what was the urgency issuing the ordinance in October. In so far as the taxes on postal articles are concerned, certain administrative arrangements had to be made before these taxes could come into effect. About 200 crores of stamps had to be got ready and distributed to the various post offices. Administrative measures were to be taken to see that all the requirements for introducing this levy were put in. That was why it was necessary.

I would also submit that for everyday, in respect of the various levies which are coming before Parliament, if I am not

mistaken, about Rs. 12 lakhs would have been lost.

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour) : I thought that headache should also be shared by the Opposition. They are also elected representatives in the House. You cannot, through that argument justify disregarding this House. *(Interruption)*

SHRI K. R. GANESH : There was an urgent situation, an extraordinary situation, and in view of the extraordinary situation,—tremendous financial burdens imposed on the country—it became absolutely imperative for the Government to bring this measure. The Government would have failed in its duty if they had not taken these necessary steps to raise resources so that the consequential problems that are arising as a result of the huge deficit could be, to an extent, met.

Hon. Members have also made their views known about the various administrative steps that the Government should have taken. For instance, they have suggested that there should be certain austerity, that taxes should be realised, that smuggling should be curtailed and that black money should be stopped. All these steps have been taken. These steps are being taken. Let me submit to hon. Members that as a result of the less budget—the deficit that was there to the extent of Rs. 200 crores that was put in the supplementary budget some of these measures have already been taken and are under way. For instance, there is the five per cent reduction in non-Plan expenditure; even the Plan expenditure consideration is going on for seeing if the total Plan outlay could be curtailed without affecting the direction of the Plan. We have informed the House time and again that as far as the arrears of taxes are concerned, Rs. 60 crores to Rs. 70 crores are to be collected, and various other economy measures as have been mentioned in both Houses from time to time have been taken. These steps have already been taken. This burden is there, because it is a continuing burden; day in and day out, this burden goes on increasing. Therefore, it was necessary for both the Centre and the States to raise as many resources as possible so that it may have a viable impact on the total economy of the country.

Thereby, the consequential problem of inflation and all the various other divisive trends in our economy could be remedied.

One hon. Member referred to the Jammu and Kashmir State not being included. It is a well-known fact and we have discussed it in this House a number of times—that due to article 370, it is necessary to take the concurrence of the State and the Home Ministry has already written to the State Government.

The other point which hon. Members have tried to make is that this tax affects the common man and it throws a burden on him.

I have indicated in my speech introducing the Bill that an attempt has been made by exempting the post-cards and registered newspapers to see that at least a larger part of the common man is excluded from the purview of taxation. It will always be a point of difference between the hon. Members on that side and us what is the actual concept of the common man which they are referring to. It is the intention of the Government, whenever taxation measures are introduced as has been done in the present case, to exclude the most vulnerable sections of the society which could not bear any burden. There are sections, I do not deny, who come within the purview of the levy and who, if the Government could avoid it, could have been given those concessions. But in an extraordinary situation like this, we have to utilise every ounce of the resources we can mobilise to meet the situation. It was not therefore possible to exclude more sections of society from the purview of the Bill. With these words, I commend this Bill.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

“This House disapproves of the Tax on Postal Articles Ordinance, 1971

(Ordinance No. 18 of 1971) promulgated by the President on the 22nd October, 1971.”

The Resolution was negatived.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

“That the Bill to provide for the levy of a tax on certain postal articles, be taken into consideration.”

The motion was adopted.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

“That clause 2 stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 3 to 6 were added to the Bill.

MR. DEPUTY-SPEAKER : There is an amendment to clause 1—

Shri S. N. Misra is not moving that amendment. So, I shall put clause 1 to the vote of the House. The question is :

“That Clause 1 stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clause 1 was added to the Bill.

The Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI K. R. GANESH : Sir, I move :

“That the Bill be passed.”

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

“That the Bill be passed.”

The Lok Sabha divided.

Division No. 6]

AYES

[15.53

Aga, Shri Syed Ahmed
 Ahmed, Shri F. A.
 Ansari, Shri Ziaur Rahman
 Awdhesh Chandra Singh, Shri
 Bahuguna, Shri H. N.
 Banamali Babu, Shri
 Banerji, Shrimati Mukul
 Basappa, Shri K.
 Besra, Shri S. C.

Bhargava, Shri Basheshwar Nath
 Bhatia, Shri Durgadas
 Bisht, Shri Narendra Singh
 Chakleshwar Singh, Shri
 Chanda, Shrimati Jyotsna
 Chaturvedi, Shri Rohan Lal
 Chhotey Lal, Shri
 Choudhary, Shri B. E.
 Choudhury, Shri Moinul Haque

Darbara Singh, Shri
 Das, Shri Anandi Charan
 Das, Shri Dharnidhar
 Daschowdhury, Shri B. K.
 Dhamankar, Shri
 Dixit, Shri Jagdish Chandra
 Dube, Shri J. P.
 Dumada, Shri L. K.
 Gandhi, Shrimati Indira
 Ganesh, Shri K. R.
 Gautam, Shri C. D.
 Godara, Shri Mani Ram
 Goswami, Shri Dinesh Chander
 Gotkhande, Shri Annasaheb
 Gowda, Shri Pampan
 Hansda, Shri Subodh
 Hari Kishore Singh, Shri
 Jadeja, Shri D. P.
 Jamilurrahman, Shri Md
 Jeyalakshmi, Shrimati V.
 Jha, Shri Chiranjib
 Jitendra Prasad, Shri
 Kadam, Shri J. G.
 Kadannappalli, Shri Ramachandran
 Kader, Shri S. A.
 Kailas, Dr.
 Kapur, Shri Sat Pal
 Kaul, Shrimati Sheila
 Kedar Nath Singh, Shri
 Kinder Lal, Shri
 Kisku, Shri A. K.
 Kushok Bakula, Shri
 Mandal, Shri Jagdish Narain
 Maurya, Shri B. P.
 Mishra, Shri Bibhuti
 Mishra, Shri G. S.
 Mishra, Shri Jagannath
 Misra, Shri S. N.
 Negi, Shri Pratap Singh
 Oraon, Shri Tuna
 Pandey, Shri Krishna Chandra

Pandey, Shri Narsingh Narain
 Pandey, Shri Sudhakar
 Pant, Shri K. C.
 Paokai Haokip, Shri
 Partap Singh, Shri
 Patil, Shri Krishnarao
 Peje, Shri S. L.
 Radhakrishnan, Shri S.
 Raghu Ramaiah, Shri K.
 Rai Shrimati Sahodrabai
 Raj Bahadur, Shri
 Rajdeo Singh Shri
 Ram, Shri Tulmohan
 Ramshekhar Prasad Singh, Shri
 Rao, Shrimati B. Radhabai A
 Rao, Shri M. S. Sanjeevi
 Ray, Shri Siddhartha Shankar
 Reddy, Shri K. Kodanda Rami
 Reddy, Shri P. Narasimha
 Richharva, Dr Govind Das
 Roy, Shri Bishwanath
 Sadhu Ram, Shri
 Saini, Shri Mulki Raj
 Sankata Prasad, Dr.
 Savant, Shri Shankarrao
 Seth, Shri Arjun
 Shambhu Nath, Shri
 Sharma, Shri A. P.
 Shenoy, Shri P. R.
 Shetty, Shri K. K.
 Shukla, Shri B. R.
 Sohan Lal, Shri T.
 Sokhi, Shri Swaran Singh
 Sonar, Dr. A. G.
 Tiwary, Shri K. N.
 Tombi Singh, Shri N.
 Tula Ram, Shri
 Unnikrishnan, Shri K. P.
 Venkatswamy, Shri G.
 Verma, Shri Sukhdeo Prasad

NOES

Bade, Shri R. V.
 Bosu, Shri Jyotirmoy
 Chandrapan, Shri C. K.
 Chaudhary, Shri Ishwar
 Chittibabu, Shri C.
 Chowhan, Shri Bharat Singh
 Deo, Shri P. K.
 Goswami, Shrimati Bibha Ghosh
 Horo, Shri N. E.
 Jha, Shri Bhogendra
 Krishna Kumari Jodhpur Rajmata

Krishnan, Shri M. K.
 Mehta, Shri P. M.
 Nayar, Shrimati Shakuntala
 Pandey, Shri Sarjoo
 Parmar, Shri Bhaljibhai
 Patel, Shri H. M.
 Ramkanwar, Shri
 Saha, Shri Ajit Kumar
 Saksena, Prof. S. L.
 Shastri, Shri Ramavatar
 Singh, Shri D. N.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The result* of the division is :

Ayes: 99 ; Noes: 22.

The motion was adopted.

15.56 hrs.

STATUTORY RESOLUTION RE : INLAND
AIR TRAVEL TAX ORDINANCE, 1971
AND INLAND AIR TRAVEL
TAX BILL

SHRI P. K. DEO (Kalahandi) : I beg to move :

"This House disapproves of the Inland Air Travel Tax Ordinance, 1971 (Ordinance No. 19 of 1971) promulgated by the President on the 30th October, 1971."

[SHRI K. N. TIWARY *in the Chair*]

With the advancement of science and technology, distance has been shrinking and air travel is no longer a luxury. It is a public utility service. There has been a trend throughout the world to reduce the air tariff. If you look at the air flight rates of the different airlines, you will see that they have been slashed down to a great extent. The whole purpose is to make it more useful, so that this amenity may be more easily available to the people at large.

We are not satisfied with the present functioning of the Indian Airlines. It cannot cater to the needs of the passengers who would like to go about inside the country. Many important towns have been left. We want a closer link of the various outlying areas by the extension of the IA Services. At the same time, we expect it should not pinch the pocket of the poor man or of the middle-class. It should not be an item of luxury only to a privileged few. So, there is a very strong case to reduce the air tariff in this country. On the other hand, we find that this utility service, instead of being made available more easily to the travelling public, is becoming more difficult. The air rates have been revised

only a few years ago and now to add insult to injury, under the pretext of refugees, another 5 per cent levy has been put through this ordinance.

There have been many speeches here on the promulgation of ordinances during the inter-session period. Heavens would not have fallen if the Government had waited for Parliament to meet and then brought forward these measures. There is no justification absolutely for this parliamentary perversity resorted to by Government in the shape of ordinances. Though it is a privilege of the Government, it should be scarcely used. This extraordinary power is not to be used as and when Government desires. As pointed out by the Supreme Court a few months ago, the Government is not the Grand Moghul that it has inherited the powers of the so-called paramountcy and it can behave as the Grand Moghuls used to behave.

Of course, we have got sympathy for the refugees. But when we talk of refugees, I am reminded of the guilty men who have been sitting in the treasury benches who were responsible for the vivisection of the Motherland. This refugee problem is a creation of their own. From the very beginning, I have been associated with the constitutional development in the country. The entire panorama of the holocaust and transfer of population is just in front of my eyes. I cannot forget those ghastly days when in broad daylight people used to be murdered. A geographical absurdity has been created out of the hunger for power. They wanted to usurp power at any cost, even at the cost of dividing this country. Pakistan, with its two wings at a distance of nearly 1100 miles, is a geographical absurdity. It cannot function and it cannot preserve its integrity. It must disintegrate one day.

Now the military regime, a minority clique, is trying to suppress the aspirations of the Bengali majority, trying to crush their culture, trying to put up their own puppet government. When they failed in their attempt, they tried to crush it with all their might. It could have been foreseen even in 1947 that these things would happen. There is nothing new about it.

*The following Members also recorded their votes :

AYES : Sarvashri Pattabhi Rama Rao, Paripoornan and Peginuli, Raja Kulkarni, Dalip Singh, Anant Prasad Dhusia, M. M. Hashim, M. Bheeshmadev, and Mallikarjun ;
NOES : Shrimati M. Godfrey and Teja Singh Swatantra.